

पत्रांक-8/34-05/05...1968

झारखण्ड-सरकार
माध्यमिक शिक्षा निदेशालय

श्री कुलवंत सिंह

निदेशक सचिव,

समाधान विकास विभाग,

झारखण्ड, रांची।

सेवा सं.

सचिव

सी० बी० एस० ई० नई दिल्ली।

रांची दिनांक - 12.9.2006

विषय : झारखण्ड राज्य के अन्तर्गत संचालित निजी विद्यालय को सी० बी० एस० ई० नई दिल्ली से संबंधन हेतु सशर्त अनापत्ति प्रमाण-पत्र निर्गत करने के संबंध में।


प्रति,


सपर्युक्त विषय के संबंध में निदेशानुसार कहना है कि राज्य सरकार द्वारा मध्यक विचारोपरान्त राज्य के अन्तर्गत संचालित संत थोमस स्कूल मैनेजिंग कमिटी साहु बहियार, तोपचान्डी, धनबाद को सी० बी० एस० ई० नई दिल्ली से सम्बद्धता हेतु अधोलिखित शर्तों एवं बन्धनों के अधीन सशर्त अनापत्ति प्रमाण-पत्र निर्गत करने का निर्णय लिया गया है।

विभागीय आदेश संख्या-1083, दिनांक 05.09.2001 के आलोक में निम्नलिखित शर्तों एवं बन्धनों को अनुपालन करना अनिवार्य होगा।

1. विद्यालय की वार्षिक बचत, आय के 10 प्रतिशत से अधिक नहीं हो ताकि यह प्रमाणित हो सके कि विद्यालय लाभ अर्जित करने के उद्देश्य से स्थापित नहीं किया गया है। कुल आय का 10 प्रतिशत जो बचत होगी उसका उपयोग भी विद्यालय के विकास में किया जाएगा। विद्यालय में कार्यरत सभी कर्मियों को कम से कम राज्य सरकार में कार्यरत समकक्ष कर्मियों को देय वेतन एवं भत्ते के बराबर भुगतान करना होगा।

2. राज्य सरकार द्वारा विद्यालय को किसी प्रकार का अनुदान नहीं दिया जाएगा।


Principal
St. Thomas High School
Topchanchi, Dhanbad
Aff. Code 3430237
School Code 52097


Secretary
St. Thomas School Managing Committee

13. उपर्युक्त शर्तों एवं बन्धनों का अनुपालन न करने की स्थिति में राज्य सरकार को अनापत्ति प्रमाण पत्र रद्द करने का अधिकार होगा।

14. यदि अनापत्ति प्रमाण पत्र के लिए विद्यालय द्वारा समर्पित कगजत एवं अभिलेखों को जाली या वास्तविक स्थिति से भिन्न पाया जाय या विद्यालय द्वारा राष्ट्र या राज्य हित के विरुद्ध कोई कार्य किया जा रहा हो या ऐसा कोई कार्य जिससे सामाजिक कदूता फैलती हो तो सरकार निर्गत अनापत्ति प्रमाण पत्र को वापस ले सकती है।


15. विद्यालय द्वारा उपर्युक्त शर्तों एवं बन्धनों का अनुपालन किया जा रहा है अथवा नहीं इसकी जांच समय-समय पर मानव संसाधन विकास विभाग, झारखण्ड के सक्षम पदाधिकारी द्वारा की जायगी तथा सरकार जब चाहे विद्यालय अथवा संस्था की वित्तीय एवं अकादमिक अनियमितताओं की जांच करा सकेगी और जहाँपरान्त आवश्यक कार्रवाई कर सकेगी।

16. एतद विषयक किसी प्रकार के न्यायिक मामलों का निपटारा माननीय झारखण्ड उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार के अन्तर्गत होगा।

17. समय-समय पर लोक हित में सरकार द्वारा विद्यालय संबंधन संबंधी जो निर्णय लिये जायेंगे उनका अनुपालन करना अनिवार्य होगा अन्यथा शर्तों का उल्लंघन मानते हुए अनापत्ति प्रमाण पत्र वापस लेने के साथ-साथ अन्य कानूनी कार्रवाई भी की जा सकेगी।

18. प्रस्ताव में विभागीय मंत्री का अनुमोदन प्रस्तुत है।


विश्वासभाजन


(कुलवंत सिंह) 11/2/2018

सरकार के विशेष सचिव।


क्र. सं. 1968 / संघी, दिनांक 12.9.2018

प्रतिलिपि:- क्षेत्रीय उप शिक्षा निदेशक, सुल्तरी छोटानागपुर प्रमंडल,
हजारबाग/जिला शिक्षा पदाधिकारी, धनबाद/प्राचार्य, सेंट थोमस स्कूल मैनेजिंग
कमिटी साहु बहियर, तोपघाटी, धनबाद को सूचना एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।


(कुलवंत सिंह) 11/2/2018

सरकार के विशेष सचिव।


St. Thomas High School
Topchanchi, Dhanbad
Alt. Code 3430237
School Code 52097


Secretary
St. Thomas School Managing Committee

1968
12.9.18

